सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी– श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 69/2015 दायर दिनॉक 15.02.2019

वादी		प्रतिवादीगण
1. सुन्दर पत्नी स्वर्गीय हरिराम उम्र–64साल, जाति–बावरी, निवासी–बुडौद, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. अमरीदेवी पुत्री स्वर्गीय हरिराम, उम्र–42साल, 2. सन्तोषदेवी पुत्री स्वर्गीय हरिराम, उम्र–39साल, 3. पुसाराम पुत्र स्वर्गीय लादुराम, उम्र–66साल, समस्त.जाति–बावरी, निवासी–बुड़ांद, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 4. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 R.T. Act.

उपस्थितः–

1. श्री पूरणसिंह बोहरा, वकील, वादी।
2. श्री हाकमअलीडॉ, वकील, प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03 की ओर से।

दिनॉक 15.02.2019

–:: निर्णय ::–

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, सरहद ग्राम बुड़ौद के खसरा नम्बर 259 रकबा 30.10 बीघा व खसरा नम्बर 440/259 रकबा 0.10 बीघा भूमि अवस्थित है।

उपर्युक्त खसरा नम्बर 259 में वादी के पति स्वर्गीय हरिराम पुत्र लादुराम अपने जीवनकाल में कब्जाकाश्त रहे उनकी मृत्यु के बाद दिनॉक 11.07.1998 के बाद वादी का नाम खातेदारी में दर्ज हुआ तब से वादी का कब्जाकाश्त चला आ रहा है। नकल खतौनी पेश है।

स्वर्गीय लादुराम की मृत्यु के बाद वादी के पति स्वर्गीय हरिराम व प्रतिवादी संख्या 03 के कब्जाकाश्त में है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

सम्वत् 2064 से पूर्व रकबा 31.00 बीघा सामलाती रूप में दर्ज थी। प्रतिवादी संख्या 03 पूराराम ने दिनांक 23.11.2010 को बेचाण के द्वारा रोशनीदेवी पत्नी मदनलाल कौम बावरी को अपने हिस्से की भूमि अर्थात् रकबा 15.10 बीघा में से रकबा 0.10 बीघा भूमि का बेचाण कर दिया, जिसका रकबा 0.10 बीघा का खसरा नम्बर 440 / 259 है। प्रतिवादी संख्या 03 का वाद वर्णित भूमि में से केवल मात्र 15.00 बीघा भूमि पर ही कब्जाकाश्त रहा है इसके अतिरिक्त रकबा 15.10 बीघा भूमि पर वादी तथा प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 का कब्जाकाश्त लगातार चला आ रहा है।

पक्षकारान् निम्न मौखिक बन्ट अनुसार वादग्रस्त भूमि में काब्जिाकाश्त है:-

1. वादी सुन्दरदेवी के बन्ट की भूमि-

खसरा नम्बर 259 रकबा 30.10 में से रकबा 05.04 बीघा भूमि बन्ट में नजरीनक्शा अनुसार।

2. प्रतिवादी संख्या 01 के बन्ट की भूमि-

खसरा नम्बर 259 रकबा 30.10 में से रकबा 05.03 बीघा भूमि बन्ट में नजरीनक्शा अनुसार।

3. प्रतिवादी संख्या 02 के बन्ट की भूमि-

खसरा नम्बर 259 रकबा 30.10 में से रकबा 05.03 बीघा भूमि बन्ट में नजरीनक्शा अनुसार।

4. प्रतिवादी संख्या 03 के बन्ट की भूमि-

खसरा नम्बर 259 रकबा 30.10 में से रकबा 15.00 बीघा भूमि बन्ट में नजरीनक्शा अनुसार।

बिनाय दावा हल्का पटवारी से नकल लेने से विपरीत खातेदारी दर्ज होने पर अन्दर हदुद अदालत पैदा हुई जो लगातार पैदा हो रही है। प्रतिवादी संख्या 04 तहसीलदार डीडवाना को लैण्ड होल्डर होने से पक्षकार बनाया गया है।

प्रार्थना वादी है कि, नजरीनक्शा अनुसार सरहद बुडौद के खसरा नम्बर 259 रकबा 30.10 में से रकबा 05.04 बीघा भूमि की खातेदारी वादी सुन्दरदेवी के व रकबा 05.03 बीघा भूमि की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 01 के व रकबा 05.03 बीघा भूमि की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 02 के व शेष रकबा 15.00 बीघा भूमि की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 03 के हक में घोषित की जावे। स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 69 / 2015 दायर दिनाँक 15.02.2019, निर्णय दिनाँक 15.02.2019 सुन्दर बनाम् अमरीदेवी, वगैरा।

आदेश

हस्ब दावा डिक्री सादिर कर, वाकै सरहद बुड़ौद के खसरा संख्या 259 रकबा 30.10 बीघा भूमि का बन्टवारा "बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स" के कर, इसकी वर्तमान खातेदारी, के स्थान पर नजरीनक्शा अनुसूची "अ" में दर्शित भूमि हेतु, आदेश इस कदर पारित किया जाता है, कि–

1. रकबा 05.04 बीघा भूमि का वादी को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
2. रकबा 05.03 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 01 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
3. रकबा 05.03 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 02 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
4. रकबा 15.00 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 03 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

खातेदारान् को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द किया है कि, वे एक–दूसरे के हिस्से व खातेदारी की भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करें। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री पर्चा जारी हो। नजरीनक्शा अनुसूची "अ", निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक 15.02.2019 को सरे ईजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

सहायक कलक्टर डीडवाना

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **69/2015** दायर दिनाँक **15.02.2019**

वादी		प्रतिवादीगण
1. सुन्दर पत्नी स्वर्गीय हरिराम, उम्र–64साल, जाति–बावरी, निवासी–बुड़ौद, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. अमरीदेवी पुत्री स्वर्गीय हरिराम, उम्र–42साल, 2. सन्तोषदेवी पुत्री स्वर्गीय हरिराम, उम्र–39साल, 3. पुसाराम पुत्र स्वर्गीय लादुराम, उम्र–66साल, समस्त,जाति–बावरी, निवासी–बुड़ौद, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 4. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 R.T. Act.

दिनाँक **15.02.2019**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री पूरणसिंह बोहरा, वकील, वादी व श्री हाकमअलीखाँ, वकील, प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03 ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्ब दावा डिक्री सादिर कर, वाकै सरहद बुड़ौद के खसरा संख्या 259 रकबा 30.10 बीघा भूमि का बन्टवारा "बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स" के कर, इसकी वर्तमान खातेदारी, के स्थान पर नजरीनक्शा अनुसूची "अ" में दर्शित भूमि हेतु, आदेश इस कदर पारित किया जाता है, कि–

1. रकबा 05.04 बीघा भूमि का वादी को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

2. रकबा 05.03 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 01 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

3. रकबा 05.03 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 02 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

4. रकबा 15.00 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 03 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

खातेदारान् को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द किया है कि, वे एक–दूसरे के हिस्से व खातेदारी की भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करें। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। नजरीनक्शा अनुसूची "अ", निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत.............

........–......................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह..........–..........

आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **15.02.2019** को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस्त कनिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	– –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस्त कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner